सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 77 फाल्गुन 21, गुरुवार, शाके 1947–मार्च 12, 2026 अंक 50
Vol. 77 Phalguna 21, Thursday, Saka 1947–March 12 , 2026 No. 50

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/उपनाम/सरनेम परिवर्तन करने का बंध पत्र

[नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1/12 एफ.डी.ई.आर 187, दिनांक 10–4–57 की अनुपालना में]

इस बंध पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता बालक राम (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व बालक राम भील कहलाता था एवं जो कि वरिष्ठ तकनिशियन (यांत्रिक) संबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किए गए नाम के रूप में उत्तर पश्चिम रेल्वे कार्यशाला, जोधपुर (स्थान जहां सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था एतद्द्वारा :–

1. स्वयं तथा मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हो मेरे पूर्व नाम बालक राम उपनाम भील को त्यागता हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम बालक राम उपनाम.....(सिर्फ) को ग्रहण करता हूँ एवं इसलिए मैं, मेरी पत्नी, बच्चे तथा दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व नाम बालक राम उपनाम भील से ना जाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किए गए बालक राम उपनाम.....(सिर्फ) द्वारा जाना जाए।
2. उक्त मेरे निश्चित को साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूँ कि मैं एतद पश्चात सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध पत्र, प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन, देनों में तथा सभी अवसरों पर पूर्व नाम बालक राम उपनाम भील के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में बालक राम नाम के रूप में तथा उपनाम.....(सिर्फ) के रूप में प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा।
3. स्पष्टतः एतदपश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे को तदनुसार नए रखे नाम बालक राम उपनाम.....(सिर्फ) के नाम से संबोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ तथा इसके लिए निवेदन करता हूँ।

इसके साक्ष्य में मैंने अपने पूर्व नाम एवं नए नाम बालक राम उपनाम भील एवं बालक राम तथा उपनाम (सिर्फ) का वर्णन किया है तथा दिनांक 20/01/2026 को हस्ताक्षर किए हैं।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपयुक्त नाम बालक राम तथा उपनाम..... (सिर्फ) द्वारा जो पूर्व में बालक राम उपनाम भील कहलाता था हस्ताक्षर किए हैं।

साक्षी :–

1. कमलेश कुमार शर्मा, वरि.अनुभाग अभियंता, उत्तर पश्चिम रेल्वे कार्यशाला, जोधपुर।
2. फराज़ अंसारी, वरि. अनुभाग, अभियंता, उत्तर पश्चिम रेल्वे कार्यशाला, जोधपुर।

हस्ताक्षर
बालकराम
नया नाम : बालक राम
बालकराम
पुराना नाम : बालक राम भील

प्रतिहस्ताक्षर
SHRI BASANT SINGH PURBIYA
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी
उ.प.रे. कार्यशाला, जोधपुर।

34547

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।